पुलिस आदेश संशोधन स्लिप (द्वितीय) 265/98

विषय:- सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक की पंक्ति के पदाधिकारियों को मोटर साईकिल क्रय करने की अनुमति एवं तत्पश्चात् सवारी भत्ता स्वीकृत करने के अधिकार के संबंध में ।

=========

पुलिस आदेश सं0- 258/96 के द्वारा आरक्षी उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारी के लिए मोटर साईकिल क्रय करने की अनुमति एवं सवारी भत्ता स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया था । पुलिस कर्मियों की व्यवहारिक कठिनाई तथा इस हेतु बिहार पुलिस एसोसियेशन द्वारा किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश में इस हद तक संशोधन किया जाता है ।

" सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को केवल पुरानी मोटर साईकिल क्रय करने की अनुमति आरक्षी उप-महानिरीक्षक के स्तर के पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी । तत्पश्चात् इन तीनों पंक्ति के पदाधिकारियों को सवारी भत्ता की स्वीकृति आरक्षी अधीक्षक के स्तर के पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी । आरक्षी अधीक्षक के स्तर के पदाधिकारी द्वारा सवारी भत्ता की स्वीकृति की सूचना क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को भी दी जायेगी । "

2- कार या जीप के क्रय हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(हस्ताक्षर) 31/3

(एस0 के0 सक्सेना)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,
पटना ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

पत्रांक 1233 /पो0-1, दिनांक 31.3.98

19-5-45-90

प्रतिलिपि:-
1. आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना ।
2. आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना ।
3. आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना ।
4. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक रेल सहित, बिहार
5. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक, बिहार
6. सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार, रेल, विसंपु, निगरानी सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

(हस्ताक्षर)

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।